न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद
महेश कुमार v/s अलीहसन
161/2025 (दावा)

यह मामला कायम मुकाम किया गया था
वकील पक्षकार ने आदेश पर मामला
वापस लेने की अनुमति चाहते हुए
पेश किया गया था यह कायम मुकाम
आदेश मामला से मुक्त की। पत्रावली
वास्ते आदेश दिनांक 20/4/26 को
पेश हो।

20/4/26 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई।
वकील अभिलेखों। पत्रावली के अनुसार
कायम मुकाम के आदेश 22 नियम 4 CPC
एवं आदेश 1 नियम 10 CPC के अन्तर्गत
किया गया दावा इस स्तर
पर खारिज किया जाता है। पत्रावली के
अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है किसी
भी विधि क्रमक के लिखाया गया। पारित
पत्रावली किया गया। पत्रावली के साथ नियम
नियम का नकल आवश्यक उपलब्ध हो

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद
जिला-सीकर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner